रा॰ स्ट्रा स॰ डी॰ 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 324] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 1973/भाद्र 30, 1895

No. 324] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 1973/BHADRA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

17 (ii) 1973

19 | 10

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 21st September 1973

S.O. 511(E)/18FB/IDRA/73.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) S.O. No. 624(E)/18FB/IDRA/72, dated the 25th September, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the industrial undertaking known as M/s. Andhra Scientific Company, Limited, Machilipatnam in the State of Andhra Pradesh is a party or which may be applicable to the said industrial [illegible] main suspended upto the 24th September, 1973 and all rights, [illegible] and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 24th September, 1973;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended upto the 24th September, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 24th September, 1974.

[No. 2/19/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1973

का० आ० 511 (अ)/18 च ख/आई० डी० आर० ए०/73.—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 624 (ई)/18 च ख/आई० डी० आर० ए०/72, तारीख 25 सितम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ख च की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का या उनमें से किसी का प्रवर्तन, जिनका आन्ध्र प्रदेश के मैसर्स आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपटनम नामक औद्योगिक उपक्रम का एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम का लागू हों, 24 सितम्बर, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 24 सितम्बर, 1973 तक निलम्बित रहेंगे। ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 24 सितम्बर, 1974 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 24 सितम्बर, 1974 तक बढ़ाती है ।

[सं० 2/19/72—सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973